प्रेस-विज्ञप्ति **07.02.2018**

दिनांक 07 फरवरी, 2018 को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया रीजनल कौंसिल- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर (वेस्ट) के संयुक्त तत्वाधान में "यूनियन बजट-2018 पर चर्चा" का आयोजन किया गया।

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री बी.के लाहोटी ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट "गाव, गरीब व् किसान" के उत्थान के लिए है। उन्होंने कहा कि बजट दूरदर्शी व् तरक्की का बजट है जिससे आने वाले दिनों में वृद्धि-दर देखने को मिलेगी। श्री लाहोटी ने मुख्य-वक्ताओं से अनुरोध किया कि वह बजट के उन प्रावधानों पर प्रकाश डाले जो व्यापारियों के कर-अनुपालन की द्रष्टि से महत्वपूर्ण हो तथा व्यापारियों के लिए GST व् लागू की गयी नयी व्यवस्था e-way के अनुपालन में परेशानियों का सामना न करना पड़े।

सत्र के सभापति श्री मुकुल टंडन ने बताया कि यूनियन बजट (2018-19) पर आयोजित गोष्ठी में मुख्य वक्ताओं श्री अभिमन्यु सोफाट, अधिवक्ता (सी.ए.) कपिल गोयल तथा सी.ए. धर्मेंद्र श्रीवास्तव द्वारा बजट के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की जायेगी।

श्री अभिमन्यु सोफाट, डायरेक्टर, IIFL, ने बताया कि फाइनेंसियल मार्केट का बजटीय विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक का अलग-अलग विचार होता है। किसी भी स्टॉक सम्बन्धी खरीद-बिक्री के लिए निवेशक को मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रॉग होना होगा। उन्होंने बताया कि फिसकल डेफिसिट जो कि 3.2% का लक्ष्य रखा गया था, 3.5% प्राप्त किया गया है; श्री सोफाट ने बताया कि यह भी एक चिंता का विषय है जिसमें सरकार को अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बजट में कृषि को प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने बताया कि वेल्थ मैनेजमेंट का मंत्र बताते हुए कहा कि निवेशक को (Investment + 1+Return + एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर प्राप्त करने के लिए) तत्पर् रहना चाहिए।

सी.ए. धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने सूचित किया कि बजट में इंडायरेक्ट टैक्स के प्रावधानों में लगभग कोइ बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कस्टम का कार्यालय जो कि पहले CGST के अंतर्गत आता था, अब पूर्णतयः कमिश्नर कस्टम कार्यालय, लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया है अर्थात CGST और कमिनश्नर कस्टम दो अलग-अलग विभाग हो गए है। श्री श्रीवास्तव ने सूचित किया कि एलाहाबाद हाई कोर्ट के दिनांक 06 फरवरी, 2018 को आये फैसले के अनुसार व्यापारी को नॉन ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट सम्बन्धी क्लेम के समाधान के लिये उक्त दिनांक से 15 दिन तक इन्तजार करना होगा अगर तब भी समाधान नहीं होता है तो सीधे विभाग से संपर्क कर सकता है तथा क्लेम फाइल कर सकता है। उन्होंने बताया कि दिनांक 01 फ़रवरी, 2018 को e-way बिल की लागू नयी व्यवस्था को पुनः निष्क्रिय कर e-way बिल की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गयी है।

अधिवक्ता (सी.ए.) कपिल गोयल, ने सूचित किया कि जिस प्रकार से संविधान की मूल-भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार आयकर की मूल-भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आयकर की मूल -भावना है: पूंजीगत प्राप्तियां एवं राजस्व प्राप्तियां, क्योकि राजस्व प्राप्तियों पर तो आयकर लगाया जा सकता है परन्तु पूंजीगत प्राप्तियों पर आयकर नहीं लगाया जा सकता है लेकिन वर्षानुवर्षों में आयकर कानून में इस प्रकार के परिवर्तन किये जा रहे है जिनसे पूंजीगत प्राप्तियों को आयकर की परिधि में लाने का प्रयास किया जा रहा है जो की आयकर की मूल-भावना के विरुद्ध इसके अतिरक्त सरकार इस दिशा में बढ़ रही है कि आयकर-संग्रह का प्रयास नहीं

हो रहा है बल्कि करदाताओं को डरा-धमकाकर कर वसूलने की प्रक्रिया बनाने की कोशिश हो रही है जो कि न तो सामाजिक रूप से ठीक है और न ही व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के लिए उचित है।

सत्र का संचालन सी.ए. दीप कुमार मिश्रा ने किया तथा धन्यवाद-प्रस्ताव सी.ए. विशाल खन्ना ने प्रस्तुत किया।

सत्र के अन्त में प्रश्नोत्तर-सत्र का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बजट सम्बन्धी प्रावधानों पर प्रश्न पूछे तथा अपनी शंकाओं का समाधान किया।

सत्र में उपस्थित प्रमुख गणमान्य : श्री संतोष गुप्ता, श्री अतुल मेहरोत्रा, श्री शशि बाजपेई, श्री आशीष अग्रवाल, श्री अलिंद पी. गुप्ता, श्री अजय केडिया, श्री संकल्प भल्ला, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव-एम.सी.यू.पी., श्री शरद श्रीवास्तव, श्री दिनेश चन्द्र शुक्ल, श्री जगदीश चन्द्र, श्री प्रशांत गुप्ता, श्री प्रदीप गोयनका, श्री अरुण अहलूवालिया तथा समस्त सहभागी संस्थाओं के सदस्यगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद